



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ (सामान्य शाखा)



सार्वजनिक नीलामी सूचना:-
विज्ञापन संख्या /2017

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के अन्तर्गत विभिन्न थाना कांड के अन्तर्गत निम्न वाहनों को जप्त किया गया है जिसकी नीलामी खुले डक द्वारा दिनांक 30.5.17 को समय 11:00 पूर्वाह्न स्थान मोगरा हाई स्कूल मैदान नालन्दा में किया जायेगा। सभी इच्छुक व्यक्तियों से अनुरोध है कि निम्नांकित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग लेने का कष्ट करें।

| क्रमांक | अधिग्रहण उत्पाद वाद संख्या एवं थाना का नाम | वाहन का प्रकार एवं संख्या |
|---------|--|----------------------------------|
| 1 | 01/2017 नगरनौसा | मोटर साईकिल / BR-01A-9234 |
| 2 | 02/2017 रहई | स्कारपिओ / BR-21G-3756 |
| 3 | 03/2017 अस्थावॉ | ट्रक / BR-21K-3144 |
| 4 | 04/2017 हिलसा | मारुती कार / BR1X-5822 |
| 5 | 05/2017 लहेरी | टाटा ए सी / BR-02W-3635 |
| 6 | 06/2017 नूरसराय | बिक्रम ऑटो रिक्सा / BR-21A-0625 |
| 7 | 10/2017 लहेरी | मोटर साईकिल / BR-21M-3617 |
| 8 | 13/2017 बेन | मोटर साईकिल / BR-21H-1834 |
| 9 | 14/2017 लहेरी | स्वीफ्ट डीजायर कार / BR-21K-4526 |
| 10 | 15/2017 सारे | टाटा-407 / BR-1G-8076 |
| 11 | 19/2017 चंडी | कन्टेनर / HR-66A-9816 |
| 12 | 19/2017 चंडी | पिक अप भान / BR-21GA-3036 |
| 13 | 19/2017 चंडी | मोटर साईकिल / BR-21N-4289 |
| 14 | 18/2017 रहई (भागन विगहा) | स्वीफ्ट डीजायर / BR-01BS-5462 |
| 15 | 18/2017 रहई (भागन विगहा) | स्वीफ्ट डीजायर / BR-01C-8692 |
| 16 | 18/2017 रहई (भागन विगहा) | इनोवा / BR-01B-1473 |

फोन नं० :- 06112-235203, 235204, फैक्स नं० :- 06112-235205, 236854,
ई-मेल :- dm-nalanda.bih@nic.in



नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ (सामान्य शाखा)



नीलामी की शर्त :-

1. गाड़ी जिस स्थिति में है उसी स्थिति में दी जायेगी।
2. डाक बोलने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को अग्रधन के रूप में 10000/(दस हजार रूपया) राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा।
उसी दिन
3. प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग अग्रधन के रूप में 10000/(दस हजार रूपया) का बैंक ड्राफ्ट उसी दिन देय होगा
4. नीलामी के वक्त स्व अभिप्रमाणित आचरण प्रमाण पत्र एवं परिचय पत्र मूल के साथ प्रस्तुत करना होगा।
उसी दिन
5. नीलामी के उपरान्त डाक की पूरी राशि एक मुश्त में नीलामी के दिन ही जमा करना होगा
6. सबसे अधिक डाक वक्ता के पक्ष में (अर्थात् सबसे अधिक बोली लगाने वाले डाक वक्ता) नीलामी की जायेगी। तथा उनका अग्रधन जमा नीलामी की राशि में समायोजित किया जायेगा। शेष डाक वक्ता का जमा अग्रधन आवश्यक प्रक्रिया के उपरान्त वापस कर दिया जायेगा।
7. वाहनों को स्थल से हटाकर ले जाने हेतु किसी प्रकार की मजदूरी अथवा राशि देय नहीं होगा।
8. नीलामी के उपरान्त वाहन को उसी दिन स्थल से ले जाना होगा। बिलम्ब के लिए प्रतिदिन 1000 का अर्थ दण्ड देना होगा।
9. अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये नीलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। परिस्थिति के अनुसार नीलामी के संदर्भ से अलग से भी विशेष शर्त आवश्यकता हुई तो लागू किया जा सकेगा।

जिला पदाधिकारी,
नालन्दा।